


<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>20.03.2015</p>	<p>पत्रावली पेक्षा ह्री मयिबबटा उभयपक्ष। मयिबबटा उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई। मयिबबटा उभयपक्ष ने बहस बहस सहमति जाहिर की तथा दृष्टगह प्रकरण में उभयपक्ष को सुनते हुए निर्णय पारित करने का निवेदन किया। मयिबबटा उभयपक्ष की बहस सुनी गई पत्रावली का मवलोकन किया गया। मूल बाह मधीनस्थ न्यायालय के समस्त विचारधीन हैं। उभयपक्षकारान के हकीं का निवारण मूल बाह में तय होना है। मिलाया उभयपक्ष के निवेदन को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। मजिल मौखिक स्वीकार की जाकर प्रकरण मधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ लौटाया जाता है कि मूल बाह में उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित तबस दिया जाकर मूल बाह का गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। मधीनस्थ न्यायालय का मयिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। पत्रावली को मूल शुमार नंबर के कम होकर दायित्व दफतर हो। माहेशा कर इजलाल सुनाया गया।</p>	


 20/3/2015
 (नवनीत कुमार)
 राजस्व अपील प्राधिकारी
 बाबमेर